रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022025-260750 CG-DL-E-04022025-260750

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] No. 90] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2025/माघ 14, 1946 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2025/MAGHA 14, 1946

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फ़रवरी, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025

फा.सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.122.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पिठत धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) में, विनियम 4घ के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

870 GI/2025 (1)

"4ङ. कब्ज़े का सौंपा जाना

समाधान व्यावसायिक, समिति के कुल मतों के कम से कम छियासठ प्रतिशत मतो के साथ अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन या किसी लिखत का कब्ज़ा सौंप देगा जिसे भू-संपदा परियोजना के अधीन अंतरित किए जाने का करार किया गया है और वहां रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाएगा जहां आबंटिती ने उसके लिए अनुरोध किया है और करार के अधीन अपने भाग का पालन कर दिया है।"

3. मूल विनियमों में, विनियम 16ख के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"16ग. समन्वयकों की नियुक्ति

- (1) जहां किसी वर्ग में लेनदारों की संख्या एक हज़ार से अधिक है वहां समिति, यथास्थिति अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को, अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक और प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न किसी दिवाला व्यावसायिक या किसी अन्य व्यक्ति को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी वर्ग में लेनदारों के भीतर किसी उप-वर्ग के लिए समन्वयक के रूप में नियुक्त कर सकेगी:-
 - (क) समन्वयक की नियुक्ति पर केवल तभी विचार किया जाएगा, यदि समिति की प्रथम बैठक के पश्चात्, किसी वर्ग में लेनदारों की कुल संख्या के कम से कम एक सौ लेनदारों से मिलकर बनना वाला कोई उप-वर्ग प्रस्तावित समन्वयक के नाम सहित ऐसी नियुक्ति के लिए किसी कार्य-सूची को शामिल करने का अनुरोध करता है;
 - (ख) समन्वयकों की कुल संख्या पांच से अधिक नहीं होगी; और
 - (ग) प्रत्येक उप-वर्ग के लिए समन्वयक की फीस, प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए विनिर्दिष्ट फीस का बीस प्रतिशत होगी और ऐसी फीस दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत का भाग होगी।
- (2) समिति, उप-वर्ग के सदस्यों के बहुमत की सिफारिश पर समन्वयक को प्रतिस्थापित कर सकेगी।

16घ. समन्वयक की भूमिकाएं और उसके उत्तरदायित्व

समन्वयक की भूमिकाओं और उसके उत्तरदायित्वों के अंतर्गत निम्मलिखित शामिल होंगे:-

- (क) प्राधिकृत प्रतिनिधि और उप-वर्ग के लेनदारों के बीच संपर्क को सुकर बनाना;
- (ख) संबंधित उप-वर्ग के लेनदारों के बीच संपर्क को सुकर बनाने के लिए समिति की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होना;
- (ग) किसी उप-वर्ग में लेनदारों को, प्राधिकृत प्रतिनिधि की सलाह के अनुसार दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्रदान करना; और
 - (घ) समिति द्वारा प्रतिनिधित्व और संपर्क में सुधार लाने के लिए सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
- 4. मूल विनियमों के विनियम 18 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(4) जहां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपदा परियोजना है वहां समिति समाधान व्यावसायिक को, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (त) में यथा-परिभाषित ऐसी परियोजना से संबंधित 'सक्षम प्राधिकारी' को, समिति की ऐसी बैठक(बैठकों) में, जो समिति विनिश्चित करे, ऐसी परियोजना के विकास से सहबद्ध विषयों पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए, मताधिकार के बिना उपस्थित होने का निदेश दे सकेगी।"
- 5. मूल विनियमों में, विनियम 30ख के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "30ग. भू-संपदा परियोजनाओं के विकास संबंधी अधिकारों और अनुज्ञाओं की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जहां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपदा परियोजना हैं, वहां समाधान व्यावसायिक:
 - (क) ऐसी परियोजना के विकास के लिए अपेक्षित विकास संबंधी अधिकारों और अनुज्ञाओं की स्थिति का ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा;

- (ख) उस रिपोर्ट को समिति को उसकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करेगा; और
- (ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट रिपोर्ट को खंड (ख) में निर्दिष्ट समिति की टिप्पणियों सहित, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से साठवें दिन या उससे पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"
- 6. मूल विनियमों के विनियम 31 में, खंड (कख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(कग) विनियम 16ग के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन समन्वयक को संदेय फीस ।"
- 7. मूल विनियमों के विनियम 36क के उप-विनियम (4) में,
 - (i) खंड (ग) में. ":और " चिह्न और शब्द के स्थान पर ": " चिह्न रखा जाएगा।
 - (ii) खंड (घ) में. "अपेक्षा नहीं होगी ।" शब्दों और चिह्न के स्थान पर "अपेक्षा नहीं होगी; और" शब्द और चिह्न रखा जाएगा ।
 - (iii) खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(ङ) कारपोरेट ऋणी की, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अनुसार, सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में रजिस्ट्रीकरण की स्थिति के ब्यौरे देगा।"
 - (iv) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपदा परियोजना है, वहां समिति, ऐसी भू-संपदा परियोजना में आबंटितियों के किसी ऐसे संगम या समूह के लिए, जो किसी वर्ग में लेनदारों की कुल संख्या में से कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ लेनदारों का, इनमें से जो भा निम्नतर हो, प्रतिनिधित्व करता है, निम्नलिखित के संबंध में शिथिलता प्रदान कर सकेगी:-

- (क) ऊपर खंड (क) में उपबंधित रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए पात्रता मानदंड; और
- (ख) प्रतिदेय निक्षेप के बारे में शर्तें।"
- 8. मूल विनियमों के विनियम 36ख के उप-विनियम (4क) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:"परन्तु जहां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपदा परियोजना है, वहां सिमिति ऐसी भू-संपदा परियोजना में
 आबंटितियों के ऐसे किसी संगम या समूह के लिए, जो किसी वर्ग में लेनदारों की कुल संख्या में से कम से कम दस
 प्रतिशत या एक सौ लेनदारों का, इनमें से जो भी निम्नतर हो, प्रतिनिधित्व करता है, कार्यनिष्पादन प्रतिभूति देने
 संबंधी अपेक्षा को शिथिल कर सकेगी।"
- 9. मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (4) और उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(4)(क) समिति समाधान योजना के कार्यान्वयन की मानिटरिंग और पर्यवेक्षण करने के लिए एक मानिटरिंग समिति स्थापित करने पर विचार करेगी।
 - (ख) मानिटरिंग समिति में, समाधान व्यावसायिक या कोई अन्य दिवाला व्यावसायिक या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके अंतर्गत समिति के प्रतिनिधि और समाधान आवेदक (आवेदकों) के प्रतिनिधि भी हैं, उसके सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं:

परन्तु जहां समाधान व्यावसायिक को मानिटरिंग समिति का भाग बनाना प्रस्तावित हो वहां उसे संदेय मासिक फीस, उसके द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्राप्त मासिक फीस से अधिक नहीं होगी।

- (ग) मानिटरिंग समिति, समाधान योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में तिमाही रिपोर्टें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।"
- 10. मूल विनियमों की अनुसूची-। के प्ररूप छ में, पंक्ति संख्यांक 16 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

| क्र.सं. | सुसंगत विशिष्टियां | |
|---------|--|--|
| 17. | कारपोरेट ऋणी की एम.एस.एम.ई. के रूप में रजिस्ट्रीकरण स्थिति के ब्यौरे | |

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./947/2024-25]

टिप्पण:-भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 752, तारीख 24 सितम्बर. 2024 में, अधिसुचना सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.116, तारीख 24 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दुसरा संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, 3rd February, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2025.

F.No. IBBI/2024-25/GN/REG122.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), after regulation 4D, the following regulation shall be inserted, namely:-

"4E. Handing over the possession.

After obtaining the approval of the committee with not less than sixty-six percent of total votes, the resolution professional shall hand over the possession of the plot, apartment, or building or any instruments agreed to be transferred under the real estate project and facilitate registration, where the allottee has requested for the same and has performed his part under the agreement."

3. In the principal regulations, after regulation 16B, the following regulations shall be inserted, namely:-

"16C. Appointment of facilitators.

(1) Where the number of creditors in a class exceeds one thousand, the committee may, direct the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, to appoint an insolvency professional other than the interim resolution professional, resolution professional and authorised representative, or any other person, as facilitator for a sub-class within the creditors in a class, subject to the following conditions:

- (a) the appointment of facilitator shall be considered only if, after the first meeting of the committee, a sub-class comprising of at least one hundred creditors out of the total number of creditors in a class, request for the inclusion of an agenda for such appointment along with the name of the proposed facilitator;
- (b) the total number of facilitators shall not exceed five; and
- (c) the fee for facilitator for each sub-class shall be twenty per cent. of the fees specified for the authorised representative and such fee shall be part of the insolvency resolution process cost.
- (2) The committee may replace the facilitator on the recommendation of a majority of the members of the sub-class.

16D. Roles and responsibilities of the facilitator.

The roles and responsibilities of the facilitator(s) shall include the following:-

- (a) facilitating communication between the authorised representative and the creditors of the sub-class;
- (b) attending the meetings of the committee, as observers, to facilitate communication between creditors of the respective sub-class;
- (c) providing information and clarifications to the creditors in a sub-class about the insolvency resolution process, as per advice of the authorised representative; and
- (d) any other tasks assigned by the committee to improve representation and communication."
- 4. In the principal regulations, in regulation 18, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- "(4) Where the corporate debtor has any real estate project, the committee may direct the resolution professional to invite the 'competent authority' as defined in clause (p) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) related to such project to attend such meeting(s) of the committee, as the committee may decide, without voting rights, for providing inputs on matters associated with the development of such project."
- 5. In the principal regulations, after regulation 30B, the following regulation shall be inserted, namely:-

"30C. Report on the status of development rights and permissions of real estate projects.

Where the corporate debtor has any real estate project, the resolution professional shall:

- (a) prepare a report detailing the status of development rights and permissions required for development of such project;
- (b) submit the report to the committee for its comments; and
- (c) submit to the Adjudicating Authority, the report referred to in clause (a) along with the comments of the committee referred to in clause (b), on or before the sixtieth day from the insolvency commencement date."
- 6. In the principal regulations, in regulation 31, after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(ac) fee payable to facilitator under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 16C."
- 7. In the principal regulations, in regulation 36A, in sub-regulation (4),
- (i) in clause (c), for the mark and word "; and", the mark ";" shall be substituted.
- (ii) in clause (d), for the mark and word "interest.", the words and mark "interest; and" shall be substituted.
- (iii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: -
- "(e) provide details of the corporate debtor's registration status as a micro, small, or medium enterprise in accordance with the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)."
- (iv) after clause (e) so inserted, the following proviso shall be inserted, namely: -
- "Provided that where the corporate debtor has any real estate project, the committee, for an association or group of allottees in such real estate project, representing not less than ten per cent. or one hundred creditors out of the total number of creditors in a class, whichever is lower, may relax the following:
- (a) eligibility criteria for submission of expression of interest provided in clause (a) above; and
- (b) conditions regarding the refundable deposit."
- 8. In the principal regulations, in regulation 36B, in sub-regulation (4A),

- (i) for the words and mark "implementation schedule.", the words and mark "implementation schedule:", shall be substituted.
- (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that where the corporate debtor has any real estate project, the committee may relax the requirement to provide for performance security for an association or group of allottees in such real estate project, representing not less than ten per cent. or one hundred creditors out of the total number of creditors in a class, whichever is lower."
- 9. In the principal regulations, in regulation 38, for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- "(4) (a) The committee shall consider setting up a monitoring committee for monitoring and supervising the implementation of the resolution plan.
- (b) The monitoring committee may consist of the resolution professional or any other insolvency professional, or any other person, including representatives of the committee and representatives of resolution applicant(s), as its members:

Provided that where the resolution professional is proposed to be part of the monitoring committee, the monthly fee payable to him shall not exceed the monthly fee received by him during the corporate insolvency resolution process.

- (c) The monitoring committee shall submit quarterly reports to the Adjudicating Authority regarding the status of implementation of resolution plan."
- 10. In the principal regulations, in Schedule-I, in Form G, after row number 16, the following row shall be inserted, namely: -

"

| SL. | RELEVANT PARTICULARS | |
|-----|--|--|
| 17. | Details of the corporate debtor's registration status as MSME. | |

MR. RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./947/2024-25]

Note:—The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2024 published vide notification No. IBBI/2024-25/GN/REG116, dated the 24th September, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 752 on 24th September, 2024.